Amendment to ULC Act

4216. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether amendments to Urban Land Ceiling Act will be made to make land easily available for industrial and housing purposes as requested by Karnataka Government;

(b) the name of the States which have exercised such options for Urban Land Ceiling Act; and

(c) whether it is not possible for the State of Karnataka to Suo-motto opt out of the option it has exercised for the Urban Land Ceiling Act?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) A letter has been received from Govt. of Karnataka extending suggestions regarding amendments to Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976. The Govt. is considering various options but no final decision has been taken so far.

(b) The following States have opted for the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976:—

1. Andhra Pradesh
2. Gujarat
3. Haryana
4. Himachal Pradesh
5. Karnataka
6. Maharashtra
7. Orissa
8. Punjab
9. Tripura
10. Uttar Pradesh
11. West Bengal
12. Assam
13. Bihar
14. Madhya Pradesh
15. Manipur
16. Meghalaya
17. Rajasthan

(c) The Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976, being a Central Act, can be amended or repealed in accordance with the provisions of Article 252(2) of the Constitution it cannot be amended or repealed by an Act of the legislatures of the State to which it applies.

मध्यम और छोटे दर्जे के नगरों का विकास

4217. श्री गोविन्दराम मिरी : क्या शहरी कार्य और रोजगार कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मध्यम तथा छोटे दर्जे के नगरों के विकास के लिए आवास और विकास निगम के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं आरंभ की गई हैं। आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत चुने गये/विकसित किए गए मध्य प्रदेश के नगरों/शहरों के नाम क्या-क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) वर्ष 1979-80 से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में लघु एवं मझौले शहरों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना चल रही है। लघु एवं मझौले शहरों के एकीकृत विकास की योजना में केन्द्र एवं राज्य अंश तथा आवास एवं नगर विकास निगम/अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण शामिल है। इस योजना का उद्देश्य 3 लाख तक की आबादी वाले नगरों में भौतिक तथा आर्थिक अवस्थापना एवं अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं में सुधार लाना है। वर्ष 1979-80 से 1994-95 की अवधि के दौरान आई डी एस एम टी योजना के तहत शामिल किए गए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के नगरों की संख्या तथा इन राज्यों को जारी की गयी केन्द्रीय सहायता (ऋण) इस प्रकार हैं :—

राज्य का नाम	नगरों की संख्या	केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु० में)
मध्य प्रदेश	58	16.53
उत्तर प्रदेश	62	18.29
राजस्थान	36	13.50

योजना के अंतर्गत बाजार एवं विपणन परिसर, मास्टर प्लान सड़कों का निर्माण/उन्नयन, जल-निकासी कार्य, स्थल सेवाएं, बस टर्मिनल/ट्रक टर्मिनल, पर्यटक सुविधाएं पार्क एवं खेल के मैदान शामिल हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न हैं।